प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' छियानवे '

प्रश्न सं. [क्र. 2972]

परिशिष्ट - 'अ'

[26/7/2016]

391

7

मध्यप्रदेश विधान सभा

ध्यान आकर्षण सूचना

भोपाल, दिनांक 10.12.2015

प्रेषक :

श्री चेतन्य कुमार काश्यप
सदस्य, विधान सभा.

प्रेषिती :

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.

विषय :—नियम 138 (1) के अधीन ई-पंजीयन एवं ई-स्टापिंग व्यवस्था में आ रही परेशानियो और शास[न] को हो रही राजस्व हानि के संबंध में सूचना।

महोदय,

मैं, नियम 138 (1) के अधीन आज दिनांक 10.12.2015 को [signature] मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे :—

प्रदेश में 1 अगस्त 2015 से लागू ई-पंजीयन एवं ई-स्टापिंग व्यवस्था में शासन की मंशा के अनुरुप काम नहीं हो रहा है। शासन को राजस्व हानि हो रही है तथा सेवाप्रदाताओं और पत्रकारों को भी अनेक समस्या का सा[मना] करना पड़ रहा है। हेल्पडेस्क लाईन से भी समस्याओं का निराकरण नही हो पाता। साख सीमा में से रोजा[ना] किसी न किसी प्रदाता के खाते से अचानक राशि कम हो जाना, स्टाम्प की राशि कट जाने पर भी प्रिंट[...] होना, बैंक से राशि ट्रांसफर करने और चालान जनरेट हो जाने पर भी साख सीमा में राशि नहीं आने, कम्प्यू[टर] प्रोग्रामिंग की गलतियो और इंटरनेट की लो-फ्रीकवेंसी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। [...]
स्वरुप गोपाल मंत्री, लोकेश जैन, अमिता राठौर, वीरेन्द्र कुमार पीतलिया, संतोष भरगट, रेखा भरगट, महेन्द्र [...]
अमित शर्मा, नीलेश गांधी और सौरभ गांधी द्वारा समस्याओं के बारे में अधिकारियो को भेजे गये ई-मेल की [प्र]
तियां संलग्न है। इस तरह की समस्याओं से पूरे प्रदेश में ई-स्टाम्प सेवा प्रदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। [...]
शासन से बारबार निवेदन करने, मेरे द्वारा मंत्रीजी से फोन पर सेवा प्रदाताओं की चर्चा कराने और मंत्री[जी]
द्वारा दिये गये आश्वासन के बाद भी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। इससे
सेवा प्रदाताओं, पत्रकारों और जनता में भारी रोष एवं असंतोष है। पिछले दो
दिनों से रतलाम के सेवाप्रदाता हड़ताल पर है। यदि इन समस्याओं का
निराकरण शीघ्र नहीं हुआ तो एक अच्छी व्यवस्था असफल हो जायेगी और
शासन को करोड़ो रुपयों का नुकसान होगा।

भवदीय,

[signature]

(क्षेत्र क्रमांक 220)

नोट : (1) नियम 138 (2) के अनुसार जहाँ किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे वहां यह समझा जायेगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता सदस्य ने सूचना दी है।

(2) अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक 22 (2) के अनुसार यह सूचना तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

शाकेमुभो—801—असविस—19-2-2014—10,000.

230

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषयः– नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना 391,485– द्वारा माननीय विधायक श्री चेतन्य कुमार कश्यप, श्री रामपाल सिंह – मंत्री का वक्तव्य।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रदेश में 1 अगस्त 2015 से ई–पंजीयन एवं ई–स्टाम्पिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई है । इस व्यवस्था के तहत अब तक 1,98376 दस्तावेजों का ई–पंजीयन हो चुका है, जिससे शासन को 895.37 करोड़ रूपये स्टाम्प शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्त हो चुकी है । संपदा के अंतर्गत ऐसे दस्तावेज, जिनका पंजीयन अनिवार्य नहीं है, के 33.32 करोड रूपये से अधिक के लगभग 3.65 लाख ई–स्टाम्प अब तक सेवा प्रदाताओं द्वारा सफलतापूर्वक जारी किये जा चुके हैं । इस व्यवस्था के तहत शासन को राजस्व की हानि नहीं हो रही है, अपितु संपदा साफ्टवेयर के माध्यम से गाईड–लाईन दरों के अनुसार संपत्ति का मूल्यांकन किसी मानवीय/लिपिकीय त्रुटि के बिना होने के कारण सही तथा पूर्ण राजस्व संग्रहण किया जा रहा है । संपदा के तहत किसी समस्या के आने पर उसका तत्काल निराकरण/समाधान किया जाता है । संपदा के तहत अब तक लगभग 4200 समस्यायें प्रतिवेदित की गई हैं, जिनमें से लगभग 3100 समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया है । इस प्रकार अब तक ई–पंजीयन में सिर्फ लगभग 2 प्रतिशत प्रकरणों में कतिपय समस्यायें बताई गई हैं, जिनमें से तीन चौथाई से अधिक का समाधान कर उन्हें ठीक कर लिया गया है, तथा शेष भी जल्दी ही ठीक कर ली जायेंगी । इनमें से अधिकतर समस्यायें प्रारंभिक माह अगस्त, सितम्बर की हैं । हाल के दिनों में सिस्टम में और अधिक सुधार कर लिया गया है, तथा अब आने वाली समस्याओं की संख्या अत्यंत कमतर हो गई हैं । किसी भी कम्प्यूटराईजेशन प्रोजेक्ट में प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार की कतिपय समस्यायें आना स्वभाविक है । इस ध्यानाकर्षण सूचना में उल्लेखित व्यक्तियों की 27 प्रतिवेदित की गई सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है ।

मध्यप्रदेश में प्रारंभ की गई संपत्ति के दस्तावेजों के ऑनलाइन ई–पंजीयन की यह व्यवस्था देश के अन्य राज्यों में दस्तावेजों के पंजीयन की व्यवस्था की तुलना में अत्यंत सरल तथा सुगम है । दस्तावेजों के ई–पंजीयन की ''संपदा'' व्यवस्था के कियांवयन की इस प्रारंभिक अवस्था में साफ्टवेयर में बग आदि कतिपय कठिनाईयां आना स्वाभाविक है, जिन्हें तत्परतापूर्वक दूर किया जाकर उनका समाधान किया जा रहा है । यह व्यवस्था जनहित को दृष्टिगत रखते हुए लाई गई है तथा यह

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

यूजर फ्रेन्डली है तथा इससे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है । इससे जन असंतोष की स्थिति निर्मित नहीं हुई है । ई–पंजीयन व्यवस्था से प्रतिदिन लगभग दो हजार से अधिक दस्तावेजों का ई–पंजीयन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो रहा है ।

भवदीय

(जयंत मलैया)
मंत्री
मध्यप्रदेश शासन
वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना,
आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं जल संसाधन

(जयंत मलैया)

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.